21/7/2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। वादी के वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण 1 ता 4 के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी वकील को वादपत्र पर सुना गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी संवत 2070 ता 2073 वाके ग्राम बलेठा खाता सं. 43 का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस खाते में कुल 433 खसरा नम्बर है तथा जिनका कुल रकबा 370.260 है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार आ.सं. न 4404 रकबा 1.14 है ग्राम बलेठा (टोंक खसरा/खातेदारी) के खातेदार रामकरण पुत्र जन्नी, चिरंजी पुत्र जन्नी, कन्हैयालाल पुत्र जन्नी, सीताराम पुत्र जन्नी, गीताराम पुत्र जन्नी मौके व कब्जे अनुसार काश्त है। मौके व कब्जे अनुसार प्रत्येक के हिस्से में 0-22 है भूमि आती है। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजी में वादी का 0-22 है पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण 1 ता 4

वादी के ही भाई है, वादग्रस्त आराजी नम्बर 4404 रकबा 1.14 है ग्राम बेनेगा का वादी व प्रतिवादीगण सह खातेदार है वादी अपने हिस्से की भूमि पर से प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द कराने का हकदार है अत: वाद वादी डिक्री किया जाता है प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी ख.न. 4404 रकबा 1.14 है वाके ग्राम बेनेगा तहसील व जिला के वादी के हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। पक्षों डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर नियम से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।